



प्रेषक,

राम जन्म चौहान,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2026

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नये महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन मान्यता की पारदर्शी व्यवस्था के डिजिटाइजेशन के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री कम्प्यूटर/26/2026-27, दिनांक 06.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-12 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था-42-अन्य व्यय हेतु राजस्व लेखा के अन्तर्गत रु0 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत कर व्यय हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

- (1) उक्त धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, द्वारा संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज समस्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उपलब्ध करायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202-03-800-12-00 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/ 2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम जन्म चौहान
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20-सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ उच्च शिक्षा अनुभाग-4।
6. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम जन्म चौहान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

राम जन्म चौहान,

उप सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 29 जून, 2026

विषय:- उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नये महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ऑनलाइन मान्यता की पारदर्शी व्यवस्था के डिजिटाइजेशन के लिये वित्तीय वर्ष 2026-27 में वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डिग्री कम्प्यूटर/26/2026-27, दिनांक 06.04.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-73 के लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-12 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था-42-अन्य व्यय हेतु राजस्व लेखा के अन्तर्गत रु0 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि स्वीकृत कर व्यय हेतु निदेशक, उच्च शिक्षा के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध:-

- (1) उक्त धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा, द्वारा संबंधित को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (2) स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (3) निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज समस्त धनराशियों का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर उपलब्ध करायेगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 एवं अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 1,00,00,000/- (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 073 लेखा शीर्षक 2202-03-800-12-00 महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की मान्यता की पारदर्शी ऑनलाइन व्यवस्था मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/ 2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राम जन्म चौहान
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, 20-सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
2. मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ उच्च शिक्षा अनुभाग-4।
6. अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम जन्म चौहान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।